1299
21-05-23

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर (राज.)

आदेश

राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती वर्ष 2022 के क्रम में श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ– 1/12102(200–बी) सी.भ./बेसिक.कम्प्यू.अनु./2022 दिनांक 03.04.2023 द्वारा प्रदत्त निर्देश एवं शर्तो अनुसार चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों मे से जालोर जिले को आवंटित आदेश में **ONLY COUNSELLING** अंकित कर केवल काउंसलिग करवाये जाने के क्रम में **श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ– 1/12102(200–बी) सी.भ./बेसिक.कम्प्यू.अनु./2022 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था से Genuine रिर्पोट प्राप्त होने** पर बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती वर्ष 2022 के अभ्यर्थियों को प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में **02 वर्ष के प्रोबेशन** पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विधालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैं। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ. **12** (6) एफ.डी.नियम/**05** दिनांक **13-03-2006** एवं एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017/जयपुर दि. **30-10-2017** के रूल्स 16 शेडयूल IV के प्रावधानानुसार वेतन लेवल–08 में **नियत मानदेय रू. 18500/**–(अक्षरे अठारह हजार पांच सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन, नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन,बोनस आदि देय नहीं होगा।

संबंधित संस्था प्रधान को इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगेः–

1. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता, आयु, जाति आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र मूल ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
4. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.7(1)डीओपी /ए–II/95 दिनांक **08-04-2003** के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक **01-06-2002** को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में **50/**– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैद्यता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जाती है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

लगातार पृष्ठ....................2

6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर लीं जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हाना चाहिए, एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो, की जांच उपरान्त ही कार्यग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
9. अन्य पिछडा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागु नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रीम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवावे।
10. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो विवाह के पश्चात् का बना हुआ है प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाए।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (**Undertaking**) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
12. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/– रू. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे एवं आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
13. पदस्थापित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी दस्तावेजो की जांच आवश्यक रूप से करे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना आवश्यक है।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां नियमानुसार की जायेगी।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–12(9)एफ डी. (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

 लगातार पृष्ठ....................3

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **14-06-2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्यत होगा । उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों की उक्त नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन रहेगी। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण सूचना शाला दर्पण पर अद्यतन कर अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न सूची– 05 अभ्यर्थी

(चुन्नीलाल परिहार)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक,जालोर

क्रमांकः जिशिअ/मु.मा/जा/संस्था/बे.कम्प्यू.अनु /सीभ 22/2023/ 1299 दिनांकः 21-05-2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सविच, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, पाली मण्डल पाली।
7. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जालोर।
8. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला–जालोर।
9. सम्बंधित संस्था प्रधान, राउमावि/राबाउमावि को उक्तानुसार इस कार्यालय से नवपदस्थापित अभ्यर्थियो के मूल आवेदन तत्काल प्राप्त कर ही कार्यग्रहण की कार्यवाही सूनिश्चित करे।
10. सम्बंधित आशार्थी ।
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली ।

21.5.23

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक,जालोर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जालोर

क्रमांकः जिशिअ / मु.मा / जा / संस्था / बे.कम्प्यू.अनु / सीम 22 / 2023 / 1299 दिनांकः 21-05-2023

Sr. No.	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FNAME	DOB	CATE	H CATE	GENDER	SEL CATE	नियुक्ति / पदस्थान स्थान	ब्लॉक	फोटो अभ्यर्थी
1	252068	4082	RAHUL JEENGAR	DUNGARAM JEENGAR	18-Apr-96	SC	--	Male	SC	SHAH HEERA CHAND CHIMNAJI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HARJI (221061)(08180101216)	AHORE	
2	216748	5752	RAVINDRA JEENGAR	CHUNNEE LAL	27-Jun-92	SC	--	Male	SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEBAWAS (221137)(08180205601)	JALORE	
3	228756	6396	ASHISH NAMA	NARESH NAMA	30-Jun-90	OBC	--	Male	OBC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALWARA R (213739)(08180604815)	RANIWARA	
4	207922	6419	NAVEEN POONIYA	JAGDISH SINGH POONIYA	18-Feb-90	OBC	--	Male	OBC	SHRI NARAYANJI KESAJI RAJPUROHIT GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAIRATH (213590)(08180301908)	SAYLA	
5	245668	6484	ROHIT KUMAR PANDEY	VINOD KUMAR PANDEY	18-Aug-94	GEN	--	Male	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ROPASI (213737)(08180604504)	BHINMAL	

21.5.23
(चुन्नीलाल परिहार)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक,जालोर